	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	कार्तिक 1, बुधवार, *शाके* 1941–अक्टूबर 23, 2019 *Kartika 1, Wednesday, Saka 1941–October 23, 2019*	

भाग-6(क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

आदेश

जयपुर, अक्टूबर 21, 2019

संख्या एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/4171:-सां.आ. संख्या- 121/2019 राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 47-क के उप नियम (2) के अनुसार मतदान की समाप्ति के पश्चात् पीठासीन अधिकारी सदस्य पदों के लिए उपयोग में लाई गई इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन (EVM) कीकन्ट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को ऐसी विधि से मुद्राबंद (Sealed) करेगा और पृथकत: सुरक्षित (Secure Separately) करेगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका(निर्वाचन) नियम, 1994 में संशोधन करते हुए नगरपालिका के अध्यक्ष पद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से कराये जाने की अधिसूचना 33841 दिनांक 16.10.2019 जारी की गई है। इसलिए अब अध्यक्ष पद के निर्वाचनों में इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन (EVM) उपयोग में नहीं लाई जायेगी। अत: आयोग द्वारा पूर्व में जारी सां.आ. 114/2019 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं।

1. मतदान समाप्त होने के पश्चात् 'Close' बटन का कैप हटाकर 'Close' बटन दबाएं एवं 'Close' बटन का कैप वापस लगाए।
2. कन्ट्रोल यूनिट का पॉवर स्विच बंद (Off) कर कन्ट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट/यूनिट्स को वियोजित/पृथक (Disconnect) किया जावे।
3. बैलेट यूनिट/यूनिट्स तथा कन्ट्रोल यूनिट को पुन: उनके वहन बक्से (Carrying Boxes) में रख दिया जावे।
4. वहन बक्सों की दोनों ओर इस प्रयोजन के लिये बने छिद्रों में धागा डालकर उन वहन बक्सों को मुद्राबंद कर दिया जावे और इस प्रकार मुद्राबंद करते समय निर्वाचन तथा मतदान केन्द्र की विशिष्टयां दर्शाने वाले एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी अपनी मुद्रा लगाकार इन्हें चपड़ी से मुद्राबंद कर देवें।
5. कन्ट्रोल यूनिट पर एड्रेस टैग की विशिष्टयों मेंनगरपालिका का नाम, वार्ड सदस्य संख्या, कन्ट्रोल यूनिट का पहचान नम्बर, मतदान केन्द्र का नाम व उसका संख्यांक और मतदान की तारीख आदि अंकित की जाएगी।

6. बैलेट यूनिट/यूनिट्स पर लगाये जाने वाले एड्रेस टैग की विशिष्टयों में-नगरपालिका का नाम, निर्वाचन का विवरण वार्ड संख्या, बैलेट यूनिट/यूनिट्स का पहचान नम्बर, मतदान केन्द्र का नाम व संख्यांक तथा मतदान की तारीख आदि अंकित की जायेगी।

7. अभ्यथ्ाी या उनके मतदान अभिकर्ता, जो उपस्थित हों तथा अपने हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों, उन्हें भी एड्रेस टैगों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जावे।

आज्ञा से,
अशोक कुमार जैन,
उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।